Seventeenth Loksabha

>

Title: Papers laid on the Table of the House by Members/Minister.

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । आइटम नम्बर-**2,** श्री परषोत्तम रूपाला जी ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री परषोत्तम रूपाला जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1)(एक) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवेलपमेन्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2017- 2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवेलपमेन्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2017- 2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 660/17/19]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 661/17/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उपधारा (3) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0सं0 आईआरडीएआई/ रेगु./2/149/2018 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ0सं0 आईआरडीएआई/रेगु./3/150/2018 जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्ररूप) विनियम, 2013 का निरसन किया गया है ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 662/17/19]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 9)-राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर ।

[Placed in Library, See No. LT 663/17/19]

(दो) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 11)-राजस्व विभाग-(अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर) ।

-

11.04 ½ hrs

[Placed in Library, See No. LT 664/17/19]

MESSAGE FROM RAJYA SABHA